यह आप की मदद कर सकता है जब आप वोट (मत) देंगे।

मताधिकारी से क्या कहें। वोटिंग टेबल पर अधिकारी को अपना पूरा नाम (पारिवारिक नाम तथा पहला नाम) और पता बताएं।
अधिकारी मतदाता सूची में देखकर पता करेगा कि आपका नाम उसमें है और आप वोट दे सकते/सकती हैं। यदि आप चाहें तो यह बातें एक काग़ज़ पर लिख/प्रिंट कर सकते/सकती हैं और टेबल पर मौजूद अधिकारी को इसे दे दें।

मतदान–पत्र (Ballot Papers)
तब अधिकारी आपको एक मतदान–पत्र देगा। मतदान–पत्र को मतस्थल में स्थित मतदान-कक्ष (voting booth) में ले जाएँ, जहाँ आप अपने मत पर अकेले में निशान लगा सकते/सकती हैं।

औपचारिक मतदान
औपचारिक मतदान के लिए आपको मतदान-पत्र में इंगित निर्देशों का पालन करना चाहिए।

बैलट पेटी/ बक्सा
जब आप मतदान-पत्र पर निशान लगा लें, तो उसको मोड़ कर उसकी तह बना दें जिससे कि आपके मत को देखा न जा सके। फिर जब आप मतस्थल छोड़ कर जा रहे/रही हों, तो मतदान-पत्र को बैलट पेटी में डाल दें।

अनुपस्थित मतदान-निषेध
यदि मतदान के दिन आप अपने स्थानीय सरकारी क्षेत्र या वॉर्ड (काउँसिल में वॉर्ड होते हैं) से बाहर हों, तो आप मतदान नहीं कर सकते/सकती हैं। आपको उसी स्थानीय सरकारी क्षेत्र या वॉर्ड में अपना मतदान करना होगा, जिसमें आप अनुसूचित हों।

आपका नाम सूची में नहीं है
यदि आपका नाम सूची में नहीं है या पोलिंग अधिकारी की ग़लती से सूची में से काट दिया गया है क्योंकि आपका वोट पड़ चुका है, तब भी आपको वोट देने का अधिकार है और आप एक सेक्शन वोट (Section Vote) के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। आपको एक लिफ़ाफ़ा दिया जाएगा, जिसमें मौजूद घोषणा-पत्र को अधिकारी आपके लिए भरेगा और आपको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा। फिर अधिकारी आपके हस्ताक्षर की गवाही करेगा, लिफ़ाफ़े को अपने पास रख लेगा और आपको मतदान-पत्र देगा। पूरा भरने के बाद मतदान-पत्रों को अधिकारी के पास वापस ले जाएं। अधिकारी मोड़ कर तह बनाए हुए मतदान-पत्रों को लिफ़ाफ़े में डालेगा, उसे बंद करेगा तथा मत पेटी में डाल देगा।

गुप्त वोट
किसी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपने कैसे अपना वोट दिया है। कुछ मतदाताओं को यह चिंता लगी रहती है कि बैलट पेपर के लिफ़ाफे पर उनके हस्ताक्षर से कोई अन्य व्यक्ति उनके वोट को पहचान सकता है।

केवल रिटर्निंग अफ़सर (मतगणना अधिकारी) या एक नियुक्त अधिकारी ही मतपत्र-निरीक्षकों की उपस्थिति में ये लिफ़ाफ़े खोलेगा। इन बैलट पेपर्स के साथ बर्ताव के लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं जिसमें उनका लिफ़ाफ़े से निकालना और तुरंत एक मत पेटी में रखना शामिल है।

विशेष सहायता

जो व्यक्ति निर्देश लिख या पढ़ न सकते हों, या जिन्हें कोई विकलांगता हो, वे वोट देने में सहायता के लिए किसी मित्र या संबंधी का प्रबंध कर सकते हैं। वे किसी मताधिकारी से भी सहायता के लिए निवेदन कर सकते हैं।

ख़राब हो गए बैलट पेपर्स

यदि ग़लती से या किसी दुर्घटना के कारण आपका बैलट पेपर ख़राब हो गया हो, तो उसे फाड़ या फेंक न दें। इसे मताधिकारी के पास बदलने के लिए वापस ले जाएं।

क्या आपको सहायता की आवश्यकता है ?

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो या आपको यह समझ न आए कि मतदान-पत्र पर निशान कैसे लगाया जाए, तो कृपया किसी मताधिकारी से पूछें।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

किसी भी भाषा में नि:शुल्क सहायता के लिए १३ १४ ५० पर दूरभाष से संपर्क करें।
ऑपरेटर मताधिकारी के साथ तीन व्यक्तियों के बीच वार्तालाप के लिए उपयुक्त भाषा में एक दुभाषिए का प्रबंध करेगा/करेगी और प्रश्नों के उत्तर आपकी अपनी भाषा में दिए जाएंगे।